

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2012

कमांक एफ 20-117/2009/11/(6):- राज्य सरकार की "औद्योगिक नीति 2009-14" के परिशिष्ट-3 में " प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की सूची" वर्गीकरण एवं उत्पाद पर आधारित है। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को सामान्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता है अतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में उच्च तकनीक का समावेश हो, पर्यावरण हित में हो अतः राज्य शासन एतद् द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश की न्यूनतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

प्राथमिकता सूची के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में स्थायी पूंजी निवेश की निर्धारित न्यूनतम सीमा होने पर ही प्राथमिकता उद्योगों को इस नीति में निर्धारित औद्योगिक निवेश संबंधी आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

प्राथमिकता सूची में निर्धारित पूंजी निवेश (प्लांट एवं मशीनरी मद में) न होने पर पात्र उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट रियायतें प्राप्त होगी।

वर्गीकरण आधारित -

क्र.	विवरण	प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा(राशि रु. लाख में)
1.	हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण	50.00
2	आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स	100.00
3	साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स	50.00
4	प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स	100.00
5	नॉन फेरस (एल्युमीनियम सहित) मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद	200.00
6	भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग(राईस मिल को छोड़कर)	50.00
7	ब्रांडेड डेयरी उत्पाद(मिल्क चिलिंग सहित)	100.00
8	फार्मास्युटिकल उद्योग	50.00
9	व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक उपभोक्ता उत्पाद	200.00

10	सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आई.टी. एनेबलड सर्विसेस, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग	50.00
11	सेरी कल्चर, हार्टी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बॉयो फर्टीलाइजर, पिसीकल्चर से संबंधित उद्योग	25.00
12	टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)	100.00
13	लघु वनोपज पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग	50.00
14	भारतीय रेल्वे, दूरसंचार, रक्षा, विमानन कंपनियों एवं अंतरिक्ष विभाग को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स	100.00
15	अपरम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन	100.00
16	डिफेन्स, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्युपमेंट	100.00
17	ग्रामोद्योग इकाईयां(ग्रामोद्योग विभाग से अनुमोदित)	25.00

उत्पाद आधारित-

1.	एच.डी.पी.ई. बैग्स एवं पाईप्स	100.00
2	मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग	100.00
3	ट्रान्समिशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण	200.00
4	स्व-चालित कृषि यंत्र एवं ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स	50.00
5	मेटल पावडर	100.00
6	बांस पर आधारित उद्योग(जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)	25.00
7	लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)	25.00
8	फलाई एश उत्पाद(सीमेंट को छोड़कर)	10.00
9	रेडीमेट गारमेंट्स(केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को)	15.00
10	सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाइजर्स	200.00
11	100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग	100.00
12	बायोडीजल उत्पादन	20.00
13	कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाईल्स एवं फिटिंग	75.00
14	वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग	100.00
15	कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स	50.00
16	फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग	10.00

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि पूंजी निवेश की उपरोक्त सीमा में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/-
(दिनेश श्रीवास्तव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग